

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- एफ.2(ग)एसीपी/1990-111/ 439

दिनांक :- 29.6.2021

आदेश संख्या:- 413/2021-22

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.15(1)एफ.डी./रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017, 09.12.2017 एवं एफ.14(88)एफ.डी./रूल्स/2008 दिनांक 12.01.2018 के अनुसरण में निम्नांकित कार्मिकों को कनिष्ठ लेखाकार के पद पर 27 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर उनके कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से प्राप्त संतोषजनक सेवा संबंधी प्रमाण पत्र एवं संतान घोषणा पत्र के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 6 में उल्लिखित दिनांक से कनिष्ठ लेखाकार के पद की तृतीय आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) पे मैट्रिक्स के लेवल L-13 में स्वीकृत की जाती हैं।

क्र. सं.	नाम (सर्वश्री)	मेरिट/ बैच नं.	लिक नम्बर	कनिष्ठ लेखाकार /समान लेवल के अन्य पद पर प्रथम कार्यग्रहण तिथि	तृतीय एसीपी देय तिथि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	भंवरलाल शर्मा	700/88	4593	28.08.1991	28.08.2018	9 वर्ष की एपीएआर प्राप्ति के आधार पर स्वीकृत
2	रामदेव ओझा	708/88	4899	04.09.1991	04.09.2018	9 वर्ष की एपीएआर प्राप्ति के आधार पर स्वीकृत
3	प्रशान्त नागर	DGS/89	5351	05.06.1993	05.06.2020	9 वर्ष की एपीएआर प्राप्ति के आधार पर स्वीकृत
4	भंवरा राम	02/90	4056	30.07.1993	30.07.2020	
5	श्याम लाल शर्मा	88/90	5606	29.07.1993	29.07.2020	
6	कैलाश कुमार अग्रवाल	108/90	4635	31.07.1993	31.07.2020	9 वर्ष की एपीएआर प्राप्ति के आधार पर स्वीकृत
7	कैलाश नाथ योगेश	352/90	4679	10.08.1993	10.08.2020	9 वर्ष की एपीएआर प्राप्ति के आधार पर स्वीकृत
8	नागर मल सैनी	442/90	2539	03.01.1994	03.01.2021	
9	देवनाथ सिद्ध	451/90	3970	03.01.1994	03.01.2021	
10	चम्पा लाल	500/90	3949	03.01.1994	03.01.2021	
11	नरसिंह देव शर्मा	502/90	2547	03.01.1994	03.01.2021	
12	मदन लाल	507/90	2436	03.01.1994	03.01.2021	
13	राजेश कुमार अरोड़ा	540/90	2211	03.01.1994	03.01.2021	
14	कैलाश चन्द्र डोलिया	547/90	3149	03.01.1994	03.01.2021	
15	सुरेन्द्र कुमार जोशी	584A/90	5843	03.01.1994	03.01.2021	

उपरोक्त तालिका में क्रम संख्या 01, 02, 03, 06 एवं 07 पर अंकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-प्रथम के गत 07 वर्ष में से पूरे 07 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होने पर वित्त विभाग के आदेश दिनांक 27.07.2012 द्वारा प्राप्त स्पष्टीकरण के आधार पर गत 09 वर्ष में से 7 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की उपलब्धता के आधार पर तृतीय आश्वासित कैरियर प्रगति इस शर्त पर स्वीकृत की जाती है कि भविष्य में उक्त अवधि के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जाकर तदनुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

उपरोक्त कार्मिकों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 30.10.2017 के पैरा 14(2) एवं आदेश दिनांक 09.12.2017 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि इन्हें—

1. पुनरीक्षित वेतनमान 2017 के अनुसार वेतन भुगतान किया जा रहा है।
2. पूर्व में तृतीय आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृति नहीं की गई है।
3. कॉलम संख्या 6 में उल्लेखित आश्वासित कैरियर प्रगति देय तिथि से गत 7 वर्ष पूर्व तक कोई दण्ड नहीं दिया गया है।
4. इनके विरुद्ध फौजदारी/विभागीय जांच लंबित अथवा प्रस्तावित नहीं है।
5. गत 7 वर्षों से नियमित वेतन वृद्धियां मिल रही है।

इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि संबंधित कार्मिकों की सेवापुस्तिका में आवश्यक रूप से की जावे।

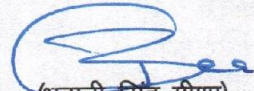

(सर्वेश कुमार तिवाड़ी)
निदेशक

क्रमांक :- एफ.2(ग)एसीपी/1990-III/ 439

दिनांक :- 29-6-2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....
2. सहायक निदेशक (एपीएआर शाखा)
3. संबंधित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I.....
4. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
5. उपनिदेशक (एसीपी) विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
6. निजी पत्रावली हेतु मूल आवेदन पत्र/गार्ड फाईल/गोपनीय अनुभाग।


(भवानी सिंह मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)